भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4977

01 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

आयुध प्रणालियों का स्वतंत्र मूल्यांकन

4977. श्री ए.गणेशमूर्ति :

श्री रवनीत सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घरेलू निजी क्षेत्र द्वारा विकसित और निर्मित आयुध प्रणालियों के व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे स्वतंत्र निकाय के गठन के बाद निजी क्षेत्र द्वारा विकसित आयुध प्रणालियों के परीक्षण और प्रमाणन के मानकों में क्या अपेक्षित सुधार होने का अनुमान है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आयुध प्रणालियों के परीक्षण और प्रमाणन का मूल्यांकन बिना किसी नौकरशाही विलंब के स्वतंत्र रूप से किया जाए;

(घ) निजी क्षेत्र में उन आयुधों और शस्त्र प्रणालियों का ब्यौरा क्या है जो पाइपलाइन में हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में रक्षा सैन्य योजना और इसके पूर्वानुमान में सुधार के लिए अन्य क्या उपाए किए गए हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) से (ग): केन्द्रीय बजट 2022-23 में, परीक्षण और प्रमाणन की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय की स्थापना करने की घोषणा की गई है । नोडल निकाय नई सुविधाओं का निर्माण करने के अलावा, रक्षा उत्पादों के परीक्षण,

जांच और प्रमाणन की मौजूदा सुविधाओं को समर्थ बनाने एवं विनियमित करने हेतु एकल विंडो नोडल एजेंसी के रूप में अनुमति देने, बढ़ावा देने, मार्गदर्शन करने, निगरानी करने एवं देखरेख करने तथा काम करने के लिए एक स्वायत्त निकाय की परिकल्पना की गई है । सरकार का उद्देश्य इस निकाय के माध्यम से सभी रक्षा परीक्षण, जांच एवं प्रमाणन संबंधी कार्यकलापों और संबंधित सेवाओं में पारदर्शिता, पहुंच, समानता और समयबद्ध सुपुर्दगी को बढ़ावा देना है ।

(घ): गत तीन वित्तीय वर्षों (2018-19 से 2020-21) और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 (फरवरी, 2022 तक) के दौरान सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति हेतु भारतीय विक्रेताओं के साथ 127 पूंजीगत अर्जन संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं । सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति हेतु इनमें से पीएसयू/पूर्ववर्ती ओएफबी/डीआरडीओ के साथ 55 संविदाओं और भारतीय निजी विक्रेताओं के साथ 72 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(ङ): पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने रक्षा सेनाओं में क्षमता विकास योजना पर जोर देने के लिए संगठित प्रयास किए हैं । इनमें से कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:-

(i) **<u>रक्षा योजना समिति (डीपीसी)</u>** - एकीकृत योजना को शीर्ष स्तर पर सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में डीपीसी का गठन वर्ष 2018 में किया गया है और इसका फोकस रक्षा क्षेत्र में सामरिक योजना , क्षमता विकास, रक्षा कूटनीति और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है । डीपीसी ने भारतीय थल सेना को अपनी प्राथमिक क्षमता विकास संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए एक आदर्श प्लेटफार्म मुहैया कराया है ।

(ii) **<u>सीडीएस की नियुक्ति</u>** - चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति और सैन्य कार्य विभाग (डीएमए) के सृजन के परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि इससे सेनाओं के लिए अत्यावश्यक प्रोत्साहन के 'एकीकरण/सहयोग' और 'संसाधनों के इष्टतम उपयोग ' का दोहरा लक्ष्य प्राप्त हुआ है । इसके अलावा , इसके परिणामस्वरूप रक्षा सेनाओं के लिए एकीकृत योजना तैयार हुई है ।

(iii) **<u>दीर्घकालिक आधुनिकीकरण योजना</u>** - एकीकृत क्षमता विकास योजना (आईसीडीपी) के कार्यान्वयन के लिए उभरती/भावी सुरक्षा चुनौतियों का आकलन करते हुए और 'सीडीएस के लिए सीसीएस अधिदेश' के अनुरूप डीएपी-2020 के तहत एकीकृत क्षमता विकास प्रणाली

(आईसीएडीएस) शुरू की गई है । आईसीएडीएस से संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है और इससे तीनों सेनाओं की योजना प्रक्रिया में अत्यावश्यक संयुक्तता/एकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है ।

(iv) **<u>एकीकृत मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (सेना) का पुनर्गठन</u>** - एकीकृत मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (सेना) का हाल का पुनर्गठन, जिससे भारतीय थलसेना की सामरिक और योजना संबंधी जरूरतों की देख-रेख करने के लिए एक डिप्टी चीफ का सृजन किया गया है , भारतीय थलसेना में योजना प्रक्रिया को और सुप्रवाही बनाता है ।

*****